

समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक- 63 / रा0

दिनांक- 17.10.22

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा ।

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,

नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड, राँची ।

विषय:-

400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु
अपयोजित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति
प्रमाण-पत्र का प्रेषण ।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-NKTL (S)/2020-21-D-150, दिनांक-27.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया
ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अंचल चतरा, सिमरिया एवं हंटरगंज में अपयोजित गैरमजरूआ
खास जंगल-झाड़ी कुल-3.765 हे0 भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ
सलंगन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
17/10/22

उपायुक्त,
चतरा ।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

सं० 64

दिनांक 17.01.22

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेन्सियों/ निगमों/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-सिमरिया, चतरा एवं हंटरगंज के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (हे०में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	कासियातु	109	82	1040	0.1	गैरमजरुआ खास जंगल-झाडी
				62	1043	0.084	
				66	1066	0.017	
				66	1067	0.096	
				41	1068	0.262	
				82	1069	0.75	
				82	972	0.046	
				62	973	0.288	
		केन्दु	110	101	28	0.175	
					39	0.113	
2	चतरा	दुन्दुआ	111	73	27	0.247	गैरमजरुआ खास जंगल-झाडी
		बगरा	112	92	513	0.166	
		भांग	217	28	358	1.041	
3	हंटरगंज	गेरी	209	1	855	0.012	
		गायघाट	109	60	88	0.062	
		पैनीखूद	305	4	2	0.306	
कुल-						3.765	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, नार्थ करणपुरा ट्रान्सको लिमिटेड को 400 KV D/C नार्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त,

चतरा।